न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 73/2022

अनवान : —

1. महावीर प्रसाद पुत्र श्री नानूराम जाति जांगिड़ साकिन परलीका तहसील नोहर।

—प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 6/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 67/66 की कुल 2.5330है0 भूमि में 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा रातूसर तहसील नोहर के खाता स0 50/47 की कुल 2.5300है0 भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त में प्रार्थी का महावीर पुत्र नानूराम दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम महावीर प्रसाद है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, पैनकार्ड, व रिपोर्ट ग्राम पंचायत परलीका आदि में दर्ज है। अतः राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वार मिलने वाली सहायत जैसे फसल मुआवजा, डिग्गी, फव्वारा संयंत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, खाद बीज आदि का ऋण नही मिल पा रहा है। अतः राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम महावीर प्रसाद दुरूस्त करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य [illegible] पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:32:10 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम महावीर प्रसाद पुत्र नानूराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम महावीर गलत दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने रोही मौजा चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 67/66 की कुल 2.5330है0 भूमि में 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा रातूसर तहसील नोहर के खाता स0 50/47 की कुल 2.5300है0 भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का नाम महावीर पुत्र नानूराम है के स्थान पर अपना नाम महावीर प्रसाद पुत्र नानूराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड पैनकार्ड, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत परलीका आदि में सही नाम महावीर प्रसाद पुत्र नानूराम है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड पैनकार्ड, रिपोर्ट सरपंच ग्राम पंचायत परलीका आदि के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा चक 16 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 67/66 की कुल 2.5330है0 भूमि में 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा रातूसर तहसील नोहर के खाता स0 50/47 की कुल 2.5300है0 भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी महावीर पुत्र नानूराम के स्थान पर सही नाम महावीर प्रसाद पुत्र नानूराम किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच महावीर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का महावीर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम महावीर पुत्र नानूराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 6/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:32:10 IST
Reason: SelfAttested